


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
पत्रांक: एफ.8() आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2020/4355-62 जयपुर, दिनांक: 06/04/202

आदेश

Disaster Management Act 2005 के अनुच्छेद 24(एल) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग को जयपुर शहर के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री अजिताभ शर्मा जिला कलक्टर जयपुर, पुलिस कमिश्नर जयपुर, चिकित्सा विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर COVID-19 की रोकथाम से संबंधित कार्य करेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।



(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष
राज्य कार्यकारी समिति

पत्रांक: एफ.8() आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2020/4355-62 जयपुर, दिनांक: 06/04/202

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। / P.S. To ACS, medical.
3. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।

7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।


शासन सचिव